

न्यायालय सिविल जज जू0डि0/जे0एम0 टाण्डा, अम्बेडकरनगर

उपरिष्ठत:- प्रीती भूषण, "उ0प्र0 न्यायिक सेवा"

राकेश कुमार सिंह पुत्र श्री भारत सिंह निवासी वेगीकोल थाना जैतपुर जिला अम्बेडकरनगर।

परिवादी

बनाम

1. हरिहर पुत्र सन्तववश
2. फतेह बहादुर पुत्र आदया प्रसाद
3. राजेन्द्र पुत्र आदया प्रसाद
4. श्रीमती रीता पत्नी फतेह बहादुर

समस्त निवासीगण ग्राम वेगीकोल थाना जैतपुर जिला अम्बेडकरनगर।

अभियुक्तगण

परिवाद संख्या:-763/2014

धारा:-323,325,452,504,506 भा.द.सं.

थाना:-जैतपुर

जनपद :-अम्बेडकरनगर

निर्णय

परिवादी राकेश कुमार सिंह द्वारा विपक्षीगण हरिहर, फतेह बहादुर, राजेन्द्र व श्रीमती रीता के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 190 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर उन्हें तलब कर दण्डित करने की याचना की गयी।

संक्षेप में परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी का कथन है कि, प्रार्थी राकेश कुमार सिंह पुत्र भारत सिंह ग्राम वेगीकोल थाना जैतपुर जिला अम्बेडकरनगर का निवासी है जो निहायती ही सीधा सादा है जबकि विपक्षीगण सरकश एवं गोलबन्द किसरा के व्यक्ति है घटना दिनांक 19.04.2004 ई0 सुबह लगभग 07:30 बजे की है। जब विपक्षीगण हरिहर, फतेहबहादुर व राजेन्द्र हाथ में लाठी डण्डा लेकर तथा फतेह बहादुर की पत्नी रीता हाथ में खाची लेकर प्रार्थी के दरवाजे पर कटहल के पेड़ से जवरदस्ती कटहल के फलों को तोड़ कर खाची में लेकर घर ले जाने लगे प्रार्थी तथा उसकी मां मैना जो ओसारे में बैठे थी जाकर मना किया तो विपक्षीगण लाठी लेकर दौड़ाये जब वे अपने घर में घुस गये तो रागी विपक्षीगण प्रार्थी के घर में घुसा कर लाठी डण्डे से प्रार्थी व उसकी मां को पीटा रीता ने प्रार्थी की मां का बाल खींचा तथा जमीन पर पटक दिया हरिहर, फतेह बहादुर तथा राजेन्द्र ने, प्रार्थी को लाठीयों से मारा राजेन्द्र ने प्रार्थी को एक खोभा वाये सीने पर मारा जिससे उसकी पराली टूट गयी गोहार पर प्रार्थी के भाई कौशल तथा गांव के लोग आये बीच बचाव किये तब विपक्षीगण ने जान से मारने की धमकी तथा कहा कि गादरचांद यदि रिपोर्ट करोगे तो बोटी-बोटी काट डालूंगा। प्रार्थी डार के कारण थाने पर उस दिन न जा सका वह दिनांक 23.04.2004 ई0 को

14.08.19

थाने पर सूचना दी तथा घटना के ही दिन अपनी तथा अपनी मां का डाक्टरी परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालपुर में कराया, थाने पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी दिनांक 15.05.2004 ई० को सी ओ जलालपुर को प्रार्थनापत्र दिया तथा दिनांक 19.06.2004 ई० को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड प्रार्थनापत्र दिया फिर भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। प्रार्थी विवश होकर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है।

चिकित्सक के अनुसार मैना देवी व राकेश के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी—

Examin'd maina devi aged 45 year w/o Bharat singh R/o Begikoal jaitpur Dist faizabad
B/B her scan kausal on dated 19.04.2004 at 3 PM

.....One black male on left clonicle.

Injuries:-

1. swelling of size 4cmX2cm pt on the ventral aspect of Rt fore arm 2 cm below from elbow joint.

2. contusion of size 1 1/2cmX1cm present on front of Rt knee coloured red.

All injuries are simple caused by hard blunt object. Duration about fresh.

Examin'd Rakesh aged 14 year w/o Bharat singh R/o Begikoal jaitpur Dist faizabad B/B
her scan kausal on dated 19.04.2004 at 8.5PM.

.....One black male on left side front of chest.

Injuries:-

1. Contusion of size 1.7cmX5cm pt on left side face just below lower eye lid colored red.

2. Abrasion of size 8cmX3cm pt on rt side back of chest.

3. Abrasion of size 9cmX4cm rt on the back of middle chest.

4. Abrasion of size 1.5cmX5cm pt on the back of lower middle chest.

Ad X ray.

All injuries are except injuries no 4 which is u/o caused by hard and blunt object.

Duration about fresh.

परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं को धारा 200 द.प्र.सं. एवं 202 द.प्र.सं. के तहत पी.डब्लू-1 मैना देवी व पी.डब्लू-2 कौशल कुमार सिंह को परीक्षित कराया। परिवादी व उसके द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2006 को विपक्षीय हरिहर फतेहवाहादुर राजेन्द्र व श्रीमती रीता के विरुद्ध धारा 323,325,452,504,506 भा.द.सं. में विचारण हेतु तलब करने का आदेश पारित किया गया।

अभियुक्तगण उपस्थित आये और अपनी अपनी जमानत कराये।

परिवादी की ओर से धारा 244 द.प्र.सं.के तहत पी.डब्लू-1 के रूप में राकेश सिंह व पी.डब्लू-2 कौशल कुमार सिंह व पी.डब्लू-3 मैना देवी को परीक्षित कराया गया।

दौरान विचारण अभियुक्तगण हरिहर व श्रीमती रीता की मृत्यु हो जाने के कारण उनके

9-11-08-14
14-08-09

मुझे नहीं पता लेकिन उग्र लिखाया था। पत्रावली में गवाह ने अपने परिवारपत्र में देखकर पढ़कर बताया कि किरसी की उग्र मैंने नहीं लिखाया मैं पढा लिखा हूँ। घटना दिनांक 19.04.2004 को समय साढ़े सात बजे सुबह की है। घटना की सूचना मैंने दिनांक 23.04.2004 को थाने पर दिया मैंने थाने पर लिखित सूचना दिया था। जिस पर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। मैंने सी ओ साहव के यहां प्रार्थनापत्र दिया था। दिनांक 19.05.2004 को दिया था। वहां भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो दरखास्त मैंने सी ओ साहव को दिया था उसकी फोटो कापी मेरे पास नहीं है। थाने पर जो दरखास्त मैंने दिया था उसकी भी फोटो कापी नहीं है। 19 जून को कप्तान को मैंने सूचना दिया तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद मैंने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा एक बार खारिज हुआ था कि नहीं मुझे याद नहीं है।..... मैंने अपना एकसरे कराया था। वही एकसरे मैंने परिवार में दाखिल किया है।..... रीता देवी मुझको नहीं मारी थी बल्कि मेरी माता को मारी थी।

परिवादी की ओर से पी0डब्लू 2 कौशल कुमार सिंह धारा 244 दं0प्र0सं0 के तहत यह वयान किया है कि, घटना दिनांक 19.04.2004 की समय सुबह लगभग साढ़े सात बजे की है। मैं अपने खेत में काम कर रहा था राकेश व परिवार के आवाज पर मैं अपने घर पहुंचा क्योंकि मेरा खेत मेरे घर के बगल में है। जब हम घर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरी मां मैना देवी व भाई राकेश कुमार को हरिहर फतेहबहादुर राजेन्द्र व रीता मेरे घर में घुसकर उन्हें बुरी तरह से लाठी डण्डे से मार पीट रहे हैं। मेरे साथ राजेश उपाध्याय हग लोगों ने बीच बचाव किया मुल्जिमान जान से मारने की धरती देते हुए चले गये। मुल्जिमान घर में घुस कर मार रहे थे।

परिवादी की ओर से धारा 246 द.प्र.सं. के तहत पी.डब्लू-2 के रूप में कौशल कुमार का वयान अंकित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने वयान में कहा है कि " घटना दिनांक 19.04.2004 रागय लगभग साढ़े 7 बजे सुबह की है। 19.04.04 समय साढ़े 7 बजे सुबह घटना के बाबत मुझे 308 में सजा हुई। जिसमें मैं जमानत पर हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कि 19.04.04 के पूर्व हमारे व हरिहर के बीच कोई मुकदमा है। जिस समय घटना घटी थी। उस समय घर के पश्चिम तरफ खेत में था। यह मुकदमा कटहल के फल को तोड़ने को लेकर हुआ था। इस कटहल के फल को तोड़ने को लेकर हमारे व रीता देवी के बीच में विवाद हुआ था। जिस मुकदमें में रीता देवी जादी मुकदमा थी। उसी कटहल के फल को लेकर यह भी विवाद है। साढ़े 7 बजे की घटना के बारे में जिसमें मुझे सजा हुई है। उसी समय मेरे भाई राकेश व हरिहर आदि के बीच में है। मेरे भाई राकेश को जो चोट आयी है। उसका मेडिकल उसी दिन शाम को मेडिकल हुआ था। मैं अपने भाई को अस्पताल लाया था। मैं उस दिन नहीं गया था। यह जानकारी मुझे नहीं थी कि रीता देवी मेरे खिलाफ पहले से मुकदमा लिखा दी थी। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे ये भी नहीं जानकारी है कि पहले रीता देवी का मेडिकल हुआ कि नहीं। मैं घटना के बीच बचाव करने गया था। कटहल तोड़ते हुए मैंने रीता देवी को देखा था। सभी लोग लाठी लेकर फल तोड़ रहे थे। कितने कटहल के फल तोड़े हैं मुझे नहीं मालूम फल के पास मैं नहीं था दूर से दिखाई दे रहा था। यह कटहल का पेड़ मेरे राहण पर है। इस कटहल के पेड़ से विपक्षी का घर 5-6 लाठ दूरी पर है। कटहल के पेड़ की उग्र लगभग 60-65 वर्ष है। वेगीकोल की आवादी की जमीन मेरी खरीदी नहीं है। मेरे पिता

Prh Bhushan
14.08.19

की उम्र 62 वर्ष है। यह मेरे पिता बाबू का बगवाया हुआ है। मेरे बाबा का नाम उदयराज सिंह है। मेरे बाबा का घर वेगीकोल में है। हरिहर के बहन की शादी मेरे बाबा के साथ हुई थी कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं आधा प्रसाद को जानता हूँ। उनकी रासुराल यहा है। मैं नहीं जानता मेरे फूफा है। मेरी सगी बूआ की शादी आधा प्रसाद के साथ हुई थी। आधा प्रसाद के लड़के राजेन्द्र है। और हरिहर सिंह आधा सिंह के रागे भाई है। मेरी सगी फूफा का गायका वेगीकोल में था। वेगीकोल के जिस मकान में मैं रहता हूँ। उस मकान के आलावा कोई मकान और नहीं था। मेरे भाई एकसरे किस तारीख को हुआ था। मुझे नहीं पता राठे रात बजे के मध्य गुझको कोई चोट नहीं आयी थी। रीता व राकेश तथा मेरी मां को चोट आयी थी। रीता गर चुकी है। रीता के पति फतेहवाहादुर सिंह है। रीता देवी का मेडिकल हुआ था। मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। इस लिए मैंने अपना मेडिकल नहीं कराया मुझे नहीं याद कि मेरी व विपक्षीगण के बीच कितने मुकदमें चल रहे है। मुझे नहीं पता है मुझे याद नहीं है कि रीता देवी मेरी खिलाफ एक मुकदमा किया है। मुझे याद नहीं है। मैं और मेरा भाई कितने मुकदमें में जमानत कराया है। मुझे याद है कि मैं केवल 308 के मुकदमें में जमानत कराया है। मुझे जहां तक याद है कि मेरा भाई राकेश किसी मुकदमें में जमानत नहीं कराया है। क्योंकि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। कौशल बनाम हरिहर एक मुकदमा मैंने किया है। सरकार बनाम राधेश्याम जो इस न्यायालय में चल रहा है। उसका वादी मुकदमा मेरा भाई वगैरह है कि नहीं मुझे याद नहीं है। सरकार बनाम राजेन्द्र के वादी मुकदमा मैं या राकेश है। मुझे याद नहीं है। हरिहर की उम्र घटना के समय लगभग 65 वर्ष थी। हरिहर मेरी फूफा के भाई लगते है। मेरी भाई का मेडिकल प्राइवेट में हुआ था। मैं सीधा अस्पताल गया था। यह कहना गलत है कि इस मुकदमें से सम्बन्धित मुझको सजा हुई है। इस लिए गवाही दे रहा हूँ। इस घटना के सम्बन्ध में और भी लोगों ने देखा है। और बीच बचाव किया है। तथा गवाही दिया है।

परिवादी की ओर से पी.डब्लू-3 के रूप में गैना देवी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने धारा 244 दं०प्र०सं० के बयान में कहा है कि घटना दिनांक 19.04.2004 सुबह साढ़े सात बजे की है। विपक्षीगण हरिहर फतेहवाहादुर राकेश व रीता देवी अपने हाथ में खाची लेकर दरवाजे के सामने लगे कटहल के पेड़ से कटहल तोड़ कर खाची में ले जा रहे थे हम व मेरा लड़का राकेश कुमार अपने ओसरे में बैठे थे विपक्षीगण कटहल तोड़ने से मना किया तो विपक्षीगण भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दौड़े हम व लड़का घर में चले गये। विपक्षीगण घर में घुसकर लाठी डण्डा से गारे पीटे जिससे पसली टूट गयी और रीता देवी मेरा बाल पकड़ कर पटक दी। हम लोगों के हल्ला गोंहार पर राकेश उपाध्याय व मेरा लड़का कौशल आदि तमाम लोग आकर बीच बचाव किये तब जाकर मेरी जान बची। साक्षी ने अपने जिरह में यह कहा है कि, घटना दिनांक 19.04.2004 सुबह साढ़े सात बजे की है। घटना के समय मैं मौजूद थी। कटहल रीता तोड़ रही थी। हरिहर फतेहवाहादुर के हाथ में लाठी थी। ओसारे में ही लाठी डण्डा लेकर घुसे थे। हम लोग लाठी डण्डा लेकर नहीं थे और अपने आगे की जिरह में यह कहा है कि, रीता देवी ने मेरे लड़के कौशल के नाम मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमें में मेरे लड़के कौशल को सजा हुई थी। उसी घटना के सम्बन्धित यह घटना है। दोनों घटना की तिथि रागय एक था। घटना में हमको व राकेश को चोट लगी थी। तथा अपने धारा 246 दं०प्र०सं० के जिरह में यह कहा है कि, चोट लगने पर पहले थाने

14.08.19

पर गये कोई सुनवाई नहीं हुई तब मैं सरकारी अस्पताल गयी थी। जब मैं थाने पर गयी थी। तब वहा पर फतेहबहादुर था उनके परिवार वाला कोई नहीं था अस्पताल में मेरा एक्सरे हुआ था। मेरा तथा फतेहबहादुर हरिहर राजेन्द्र प्रसाद से जमीनी झगड़ा चल रहा है। इसी घटना के बाद से मुल्जिमानों का मेरे घर से आना जाना तथा मेरा भी मुल्जिमानों के घर से आना जाना बन्द हो गया। घटना में मुझे चोट लगी थी व खून बहा रहा था खून बहने से मुझे कमजोरी आ गयी थी।

अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य में साक्षी डी0डब्लू0 1 के रूप में विजय बहादुर, डी. डब्लू-2 के रूप में विश्वनाथ उपाध्याय, डी.डब्लू-3 के रूप में राजेश उपाध्याय, डी.डब्लू-4 के रूप में फतेह बहादुर सिंह को बतौर परीक्षित कराया है।

डी0डब्लू 1 साक्षी विजय बहादुर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि, जब हम लोग गुवारकपुर पहुचे तो वहा पर नन्दे सिंह ने बताया कि फतेहबहादुर के यह फौजदारी हो गयी है उनकी पत्नी रीता देवी घायल हो गयी है। अतः स्पष्ट है कि इस साक्षी का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य जो कि साक्ष्य में ग्रह्य नहीं है।

डी0डब्लू 2 विश्वनाथ उपाध्याय ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि, मैं दिनांक 19.04.2004 को सुबह साढे साते बजे अपने जजमानी में बेगीकोल जा रहा था जब मैं कौशल सिंह के घर के पीछे पहुचा तो शोर गुल सुनाई दिया मैं वही से कौशल के घर गया। मैंने वहां देखा कि कौशल सिंह व राकेश सिंह मैना देवी रीता देवी को मार रहे थे रीता के घर पर कोई पुरुष फतेहबहादुर हरिहर राजेन्द्र व घनश्याम नहीं थे। जिरह में कहा है कि, घटन दिनांक 19 अप्रैल 2004 की है और मैं इस दिन देवनारायन सिंह के यहा कथा में जा रहा था।.....मेरे व राजेन्द्र के बीच आजगढ में राजेन्द्र आदि वनाम हरिप्रसाद आदि के नाग से डी0डी0सी के यहा मुकदमा कहा चल रहा है जिसमें इस मुकदमें के मुल्जिमान हरिहर सिंह गवाह है। परिवारी ने ये तर्क लिया कि, यह गवाह हितबद्ध साक्षी है। इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि, दिनांक 19.04.2004 को परिवारी व मुल्जिमान के बीच मार पीट हुई थी जिससे घटना सावित होती है।

साक्षी डी0डब्लू 3 राजेश उपाध्याय ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि, उपरोक्त मुकदमा के घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना को मैंने अपनी आखों से देखा नहीं है। अतः स्पष्ट है कि, इस गवाह ने घटना को नहीं देखा है। और न ही उसे मुकदमा में घटना के बारे में कोई जानकारी है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

डी0डब्लू 4 फतेहबहादुर ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि, मैं सन् 19.04.2004 करे मे रागसजीवन सिंह की सगाई में गया था रागसजीवन सिंह विजय बहादुर सिंह के भाई है। वे विजय बहादुर सिंह के साथ गुवारकपुर गया था। यह गुवारकपुर गांव जिला जौनपुर में पड़ता है मैं अपने घर से सुबह 6 सवा 6 बजे विजयबहादुर सिंह के घर गया और मैं विजय बहादुर के साथ गुवारकपुर गांव गया। मैं गुवारकपुर गांव सवा 9 बजे गया वहां पर पहुचा तब नन्दे सिंह ने बताया कि मेरे घर फौजदारी हो गयी है जैसे मैंने सुना तुरन्त वहा से वापस आया और घर आने पर जानकारी हुई कि मेरी पत्नी को सुबह साढे सात बजे कौशल ने मारा है और वह उस समय अस्पताल में है। मैं अपने घर से तुरन्त जलालपुर अस्पताल में गया जहां मेरी पत्नी का इलाज चल रहा था। इस साक्षी के बयान से भी यह स्पष्ट होता है कि, दिनांक 19.04.2004 को परिवारी व

14.08.09

मुल्जिमान के बीच मार पीट हुई थी जिरासे घटना साबित होती है।

सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत सभी गवाह द्वारा परिवादी व मुल्जिमान के मध्य मारपीट का होने का कथन किया गया है जिससे दिनांक 19.04.2004 को हुई घटना का समर्थन होता है। और घटना साबित हो रही है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-323 भा0द0सं0 का अपराध साबित नहीं होता है। इस सम्बन्ध में धारा-323 भा0द0सं0 के अंतर्गत निम्न तथ्य होना आवश्यक है-

1. यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को वस्तुतः कोई साधारण पीड़ा, रोग या शैथिल्य कारित किया हो।
2. अभियुक्त ने ऐसा उक्त उपहति कारित करने के आशय या इस ज्ञान से किया हो जिससे उपहति कारित होना सम्भाव्य हो।

परिवादी का कथन है कि, विपक्षीगण हरिहर, फतेहवाहादुर व राजेन्द्र हाथ में लाठी डण्डा लेकर तथा फतेहवाहादुर की पत्नी शीता हाथ में खाची लेकर प्रार्थी के दरवाजे पर कटहल के पेड़ से जवरदस्ती कटहल के फलों को तोड़ कर खाची में लेकर घर ले जाने लगे प्रार्थी तथा उसकी मां मैना जो ओसारे में बैठे थी जाकर मना किया तो विपक्षीगण लाठी लेकर दौड़ाये जब वे अपने घर में घुस गये तो सभी विपक्षीगण प्रार्थी के घर में घुस कर लाठी डण्डे से प्रार्थी व उसकी मां को पीटा जिससे परिवादी व उसकी मां को चोट आयी। डाक्टर साक्षी पी0डब्लू 4 डा0धीरेन्द्र सिंह ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि, मैं दिनांक 19.04.2004 ई0 को सामुदायिक केन्द्र जलालपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। मैं दिनांक 19.04.2004 को मैना देवी व राकेश की डाक्टररी परीक्षण किया था जिसकी कापी संलग्न पत्रावली है। जिस पर प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 डाला गया है मैना देवी चोट नं. 1 सूजन 4 से0मी0 2से0मी0 और चोट नं0 2 दाहिने अग्र भाग पर 1.5 से0मी0 1 से0मी0, दाहिने घूटने पर चोटे साधारण किसी कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी जो ताजी थी। राकेश को जो चोटे आयी पहला निलगू निशान 1.7 से0मी0 5से0मी0, बाये चेहरे पर दूसरा कास 8से0मी0 3से0मी0, दाहिने की तरफ सीने पर तीसरा कास 9से0मी0 4से0मी0, सीने के बीचों बीच 4 कास 1.5से0मी0 5से0मी0, दाहिने तरफ सीने के पीछे जिसकी एक्सरे की सलाह दी गयी। सभी चोटे साधारण सिवाय नं0 4 जो कि निगरानी में रखी गयी किसी कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी। चोटहिल राकेश की एक्सरे रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में संलग्न पत्रावली है। जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया है। राकेश की पसली टूटी पायी गयी। साक्षी मैना देवी की चिकित्सकीय आख्या प्रदर्श क-1 व राकेश कुमार की चिकित्सकीय आख्या प्रदर्श क-2 से साबित किया है। उक्त चोटों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ने जान बूझकर यह जानते हुए कि मार पीट में मजदूरों को चोटें आयेंगी और चोट पहुचाने के आशय से अभियुक्तगण द्वारा चोटे कारित की गयीं है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-323 भा0द0सं0 का अपराध साबित होता है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि धारा-325 भा0द0सं0 का अपराध साबित नहीं होता है, क्योंकि साक्षी पी0डब्लू0-3 डा0धीरेन्द्र सिंह ने जो मजदूरों की

P. M. B. W. K. H. S.
14.08.19

चिकित्सीय परीक्षण किया है, उन्होंने ही राकेश का एक्स-रे भी किया है जबकि उन्हें करने का ऐसा कोई अधिकार नहीं था। जहाँ तक धारा-325 भा0दं0सं0 का प्रश्न है। धारा-325 भा0दं0सं0 के अंतर्गत निम्न तत्व होना आवश्यक हैं:-

1. अभियुक्त ने स्वेच्छया घोर उपहति कारित की हो,
2. उपहति पहुँचाने का अभियुक्तगण का आशय रहा हो,
3. वह जानता हो कि उसके कृत्य से यह सम्भाव्य है कि उससे किसी व्यक्ति को घोर उपहति आयेगी,
4. ऐसी उपहति धारा-335 भा0दं0सं0 के अधीन न हो।

स्पष्ट है कि इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य आरोप अंतर्गत धारा 325 विरचित किया गया है तथा परिवादी को अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के उद्देश्य को साबित करना है। इस तथ्य को साबित करने के लिए मेडिकल को साबित कराना आवश्यक है।

चूँकि पेड़ से जवरदस्ती कटहल के फलों को तोड़ कर खाची में लेकर घर ले जाने के विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा परिवादी और उसकी मां मैना देवी को चोटें पहुँचाई गयी हैं। जिससे परिवादी की पसली टूट गयी है। अभियुक्तगण/विद्वान अधिवक्ता की ओर से डाक्टर साक्षी पी0डब्लू0-4 डा0धीरेन्द्र सिंह से प्रति-परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि, जिसके बावत डाक्टर धीरेन्द्र ने कथन किया है कि, चोटहिल का पर्चा नहीं कटी थी ना ही काटी जाती। संलग्न पत्रावली एक्सरे रिपोर्ट में चोटहिल राकेश कानाम नहीं लिखा है। मे रेडियोलॉजिस्ट का कोई परीशिक्षण नहीं प्राप्त किया है। लेकिन एम0बी0वी0एस परीक्षण कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध एक्सरे रिपोर्ट जिस पर दिनांक 03.05.2004 अंकित है। लेकिन एक्सरे में यह अंकित नहीं है कि वह एक्सरे किसका है। डा0 धीरेन्द्र द्वारा अपने जिरह में यह कहा गया है कि उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि डाक्टर साक्षी धीरेन्द्र सिंह एक्स रे करने के लिए अधिकृत नहीं थे। और एक्सरे जो पत्रावली पर उपलब्ध है, के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, वह एक्सरे राकेश कुमार सिंह का है। अतः स्पष्ट है कि, परिवादी राकेश को ऐसे कोई चोटें नहीं आयी है जिससे धारा 325 भा0दं0सं0 का मामला बनता हो। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-325 भा0दं0सं0 का अपराध साबित नहीं होता है।

जहाँ तक धारा 452 भा0दं0सं0 का प्रश्न है तो, परिवादी के साक्ष्य से यह साबित है कि, दिनांक 19.04.2004 को घटना कारित हुई और परिवादी व उसके साक्षी ने 244 दं0प्र0सं0 में इस बात का समर्थन किया है कि, अभियुक्तगण उसके घर में घुसकर लाठी डण्डा से मारे थे परन्तु परिवादी व उसके साक्षी ने अपने बयान में 246 दं0प्र0सं0 में यह कही नहीं कहा है कि, विपक्षीय परिवादी व उसकी मां को घर में घुसकर मारे थे। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-452 भा0दं0सं0 का अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि धारा-504 भा0दं0सं0 का अपराध साबित नहीं होता है। जहाँ तक धारा 504 भा0दं0सं0 का प्रश्न है। धारा 504 भा0दं0सं0 के अपराध में निम्न तथ्य होना आवश्यक है-

आशयित अपमान जो अपमानित व प्रकोप प्रदान करे। अभियुक्तगण का यह आशय होना

Prabhakar
14-08-09

में। परिवादी/ अभियोजन द्वारा कथित आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित किये जाने पर दोषसिद्ध किया जाता है। अतएवं अभियुक्तगण फतेहवाहादुर, राजेन्द्र अपराध अंतर्गत धारा 325, 452 504 भा.द.सं. के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में दोष सिद्ध पाते हुए तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। अभियुक्त के जमानतनामों व बन्ध-पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सम्बोधन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली लंच वाद पेश हो।

दिनांक 14.08.2019

(प्रीती भूषण)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० टाण्डा
अम्बेडकरनगर

लंच वाद

अभियुक्तगण फतेहवाहादुर व राजेन्द्र जरिए हिरासत उपस्थित। पत्रावली वास्ते परवीक्षा व दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु नियत है।

अभियुक्तगण फतेहवाहादुर व राजेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता को परवीक्षा पर सुना और पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण कम से कम सजा की याचना की है।

पत्रावली का परिशीलन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण फतेहवाहादुर व राजेन्द्र को भा०द०सं० की धारा-323, 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाया गया जोकि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा मारकर साधारण चोटें पहुंचायी गई है व जान से मारने की धमकी दी गयी। इस प्रकार के अपराध में यदि अभियुक्तगण को परवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उससे सामाजिक परिवेश में कानून के प्रति जो उप-धारणा है वह आहत होगी, चूंकि अभियुक्तगण का अपराध गंभीर है इसलिए न्यायालय के मत में अभियुक्तगण को परवीक्षा अधिनियम की धारा-4 का लाभ प्रदान करना न्यायोचित नहीं है।

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पुनः पेश हो।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप को अभियोजन द्वारा पूर्ण रूप से संदेह से परे साबित किया गया है और अभियुक्तगण का अपराध एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा लाठी डण्डे से मारा व जान से मारने की धमकी देकर गंभीर अपराध कारित

(प्रीती भूषण)
14.08.19

किया। इस प्रकार न्यायालय के मत में अभियुक्तगण फतेहवाहादुर व राजेन्द्र को नियमानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण फतेहवाहादुर व राजेन्द्र को भा०दं०रा० की धारा-323 के अन्तर्गत 3 माह के साधारण कारावास व 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण फतेहवाहादुर व राजेन्द्र को भा०दं०रा० की धारा-506 के अन्तर्गत 1 साल के साधारण कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण को 2 माह का अतिरिक्त कारावारा भोगना होगा। जेल में विताये गये अवधि को लेकर सभी राजाये साथ चलेंगी।

अभियुक्तगण न्यायिक हिरासत में हैं। उराके जगानत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। जाभिनदार को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर उसे जेल भेजा जाए।

दिनांक-14.08.2019

Prati Bhusan
14.08.19
(प्रती भूषण)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० टाण्डा
अम्बेडकरनगर

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित

करके उदघोषित किया गया।

दिनांक-14.08.2019

Prati Bhusan
14.08.19
(प्रती भूषण)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० टाण्डा
अम्बेडकरनगर

Prati Bhusan
14.08.19

प्रमाणित न्यायालय

Prati Bhusan
Civil Judge (J) Ambedkar Nagar

न्यायालय सिविल जज जू०डि०/जे०एम० टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

उपरिष्ठतः- प्रीती भूषण "उ०प्र० न्यायिक सेवा"

मूलवाद सं०-742/98

156/21

1. यशोदा देवी आयु लगभग 55 साल विधवा रामदुलार
2. अभिराजी आयु लगभग 50 साल पत्नी वृजलाल
निवासीगण ग्राम कुठगा परगना सुरहुरपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर।

.....वादीगण

बनाम

1. जय प्रकाश आयु लगभग 45 साल
 2. वेद प्रकाश आयु लगभग 42 साल पुत्रगण रामनैन
 3. श्री प्रकाश आयु लगभग 40 साल
 4. हनुमान प्रसाद आयु लगभग 50 साल
 5. रवीन्द्र नाथ आयु लगभग 45 साल
 6. अरविन्द आयु लगभग 42 साल पुत्रगण रामप्रीति
 7. धीरेन्द्र आयु लगभग 42 साल
- समस्त निवासीगण ग्राम खरगपुर मशगूले कुठगा परगना सुरहुरपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

वादिनी यशोदा देवी आदि द्वारा प्रस्तुत मूलवाद प्रतिवादी जयप्रकाश आदि के विरुद्ध वास्तो दावा मंसूखी दस्तावेज बैनामा के अनुलोप हेतु योजित किया गया है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र कागज सं० 3क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि, वादिनी नं० 1 भूमिधर भूखण्ड संख्या-472/409 व भूखण्ड सं० 494क/0.041 स्थित ग्राम कुठगा परगना सुरहुरपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर की थी और उस पर काबिज दखील थी। वादिनी नं० 1 को अपनी आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता थी जिसका इंतजाम उसके लिए विदून् इन्तकाल जायदाद मुमकिन नहीं था इसलिए वादी नं० 1 ने भूखण्ड संख्या-472 को जरिए दस्तावेज बैनामा रजिस्ट्ररी शुदा दिनांक 08.12.97 बहक वादिनी सं० 2 मुंतकिल करके कब्जा दखल वादिनी सं० 2 को करा दिया। वादिनी सं० 2 ने वाद हासिल करने बैनामा दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र श्रीगान् नायब तहसीलदार भियांव के समक्ष प्रस्तुत किया जो वाद सं० 367 के रूप में पंजीकृत हुआ और दिनांक 31.09.98 को वादिनी नं० 2 के नाम दाखिल खारिज हो चुका है। इस प्रकार वादिनी नं० 2 भूखण्ड सं० 472 की भूमिधर है और काबिज दखील है। प्रतिवादीगण से विवादित भूमि का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही उनका कब्जा ही विवादित भूमि पर रहा है। उन्होंने दिनांक 23.02.98 को एक प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 31.01.98 उक्त बैनामे को मंसूख करने हेतु न्यायालय तहसीलदार जलालपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अपने को बैनामेदार होना जाहिर किया किन्तु बैनामे की तारीख आदि नहीं लिखा। इस प्रार्थना पत्र की जानकारी वादीगण को अक्टूबर 1998 में हुई। तब वादीगण ने रजिस्ट्ररी दफ्तर जलालपुर में दिनांक 07.10.98 को मुआइना कराया और दस्तावेज बैनामा की नकल हासिल की। जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से दस्तावेज बैनामा मनात दावा मंसूख कराने को कहा परन्तु वे सहमत नहीं हुए और इन्कार कर दिया। इसलिए दावा दायर करने की आवश्यकता हुई। दस्तावेज बैनामा नविस्ते रामप्रीति उपाध्याय बहक प्रतिवादीगण दिनांक 23.01.87 जिसका निबंधन वही नं० 1 जिल्द 912 के पृष्ठ 229/230 में नम्बर 468 पर दिनांक 07.03.87 को हुआ जो निम्न कारणों से मंसूख होने योग्य है।

अ :- वादिनी सं० 1 ने दस्तावेज बैनामा मनात दावा तहरीर नहीं किया है।

ब :- वादिनी नं० 1 ने प्रतिवादी नं० 8 के पक्ष में कभी कोई मुख्तारनामा नहीं लिखा कथित मुख्तारनामा सरासर फर्जी है और उस पर वादिनी नं० 1 के निशान अगूठा नहीं है।

Rahodhan
24/03/19

स :- वादिनी नं० 1 से तथा प्रतिवादीगण से विवादित जायदाद को विक्रय करने का कोई शर्त नही हुआ है।

द :- दस्तावेज बैनामा मनात दावा बिना जर बदल है।

य :- विवदित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है बल्कि प्रतिवादिनी सं० 2 का कब्जा है।

र :- दस्तावेज बैनामा मनात दावा के कायम रहने से भविष्य में वादीगण के स्वत्व की हानि पहुचने की संभावना है।

अतः वादीगण द्वारा याचना की गई कि, डिक्री मंसूखी दरतोवज बैनामा नविस्ते प्रतिवादी नं० 8 बहक प्रतिवादगण 1 ता 7 दिनांक 23.01.87 जिसका निबंधन वही नं० 1 जिल्द 912 के पृष्ठ 229/230 में नम्बर 468 पर दिनांक 7.03.87 को हुआ है वहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाए व खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाए।

प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपरिथत आकर अपना जवाब दावा कागज सं० 28क प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों का खण्डन करते हुए विशेष कथन किया गया कि, वादीगण द्वारा विल्कुल गलत व मनगढ़ंत वाक्यात के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है। वादिनी नं० 1 निजाई की भूमिधर नहीं है। उसका यह कहना निराधार है कि उसने वादिनी सं० 2 को दिनांक 08.12.97 को बैनामा तहरीर करके कब्जा व दखल दे दिया है। वादिनी नं० 1 का यह कथन भी निराधार है कि, उसने कोई मुख्तारनामा रामप्रीति के हक में तहरीर नहीं कराया है। वास्तविकता यह है कि, वादिनी नं० 1 यशोदा देवी के पति रामदुलार रहे तथा उसकी सास रामराजी नहीं रही और ससुर रामराज के जीवनकाल में ही वादिनी नं० 1 के पति रामदुलार मर गए। उसके बाद रामराज मरे। रामराज की आराजी रामराजी तथा यशोदा के भ्रम अंकित हुई लेकिन वाद में दोनों के मध्य कई मुकदमें राजस्व न्यायालय में चले। इसी दौरान चकबन्दी आ गयी और चकबन्दी में भी मुकदमें चलने लगे जो विचाराधीन हैं। दौरान मुकदमा रामराजी मर गयी। रामराजी का हक व हिस्सा भी वादिनी नं० 1 के नाम दर्ज हो गया लेकिन अशरफी पुत्री रामराज द्वारा रामराजी के हिस्से के निस्वत वाजदायर किया जो लयित है। वादिनी नं० 1 को समय समय पर रूपयों की आवश्यकता पड़ती रही इसलिए उसने गाटा सं० 1167,1193,1199 आदि स्थित मौजा रतना का बैनामा वहक रामप्रीति व रामनथन व रामसुमेर तहरीर करके कब्जा व दखल दे दिया जिसकी खारिज दाखिल भी न्यायालय ए.एस.डी. ओ. अकबरपुर मुकदमा नं० 671/434 दिनांकित 28.01.71 द्वारा हो गयी। जिसकी अमलदरागद भी दिनांक 20.12.71 को खतौनी पर हुई जो अंतिम आदेश है जिससे वादिनी नं० 1 पाबंद है। वादिनी नं० 1 द्वारा खूब समझ कर एक मुख्तारनामा आम दिनांक 1 जनवरी 1972 वहक रामप्रीति उपाध्याय पुत्र श्री झपसी को तहरीर करके रजिस्ट्ररी करा दिया। मुख्तारनामा आम दिनांक 01.01.72 उसने उपनिबंधक अकबरपुर के समक्ष पेश किया और उसके तथ्यों को भलीभांति सुनकर तस्लीम किया उस पर उसने अपने निशानी अंगूठा आवश्यकतानुसार लगाया और उसके कहने से ही गवाहान ने अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठे लगाए जिससे वह पाबंद हैं। दौरान चकबन्दी वादिनी नं० 1 का मौजा रतना के चक संख्या-6082 आदि को भी रूपयो की जरूरत होने पर उसने दिनांक 22.12.86 को बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी फैंजावाद से अनुमति प्राप्त की और उसका बैनामा जरिए मुख्तारनामा रामप्रीति उपाधय वहक प्रतिवादीगण पूर्व तय शुदा प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 17.01.87 को रजिस्ट्ररी करा दिया। रामराजी के हक व हिस्से को अपना जाहिर करते हुए बिना किसी आधार के राममूरत नामक व्यक्ति द्वारा चकबन्दी न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र राममूरत बनाम रामप्रीति वाद सं० 530 से 533 ग्राम रतना इस आशय का दिनांक 16.10.84 को दिया गया कि यशोदा देवी द्वारा कोई मुख्तारनामा नहीं लिखा गया है, मुख्तारनामा की फोटो स्टेट दाखिल किये हैं जो साक्ष्य में विश्वसनीय नहीं है। न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 20.12.86 को असल मुख्तारनामा आम राम प्रीति द्वारा दाखिल किया गया जिसकी पुष्टि चकबन्दी अधिकारी द्वारा की गई। विद्वान बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा दिनांक 22.12.86 को विक्रय की अनुमति के विरुद्ध श्री राममूरत द्वारा न्यायालय चकबन्दी फैंजावाद के यहां निगरानी सं० 153 राममूरत बनाम यशोदा देवी आदि प्रस्तुत की गई जो दिनांक 24.2.99 को निरस्त हुई। मुख्तारनामा आम दिनांकित 01.01.72 नविस्ते यशोदा देवी वहक रामप्रीति को बार बार वरदिनी नं० 1 स्वीकार कर चुकी है और न ही मुख्तारनामा के विरुद्ध कोई आपत्ति की गई है। वादिनी नं० 1 को रूपयों की सख्त आवश्यकता थी इसलिए उसने गाटा सं० 472 रकबा 1 बीघा 12 बिरवा 6 धूर तथा 494क रकबा 3 बिरवा 5 धूर रिथत मौजा कुठमा का दस्तावेज बैनामा तय शुदा प्रतिफल प्राप्त करके तहरीर किया है। निजाई दस्तावेज बैनामा दिनांकित 23.01.87 से प्रतिवादीगण आराजी निजाई के भूमिधर है तथा उस पर काबिज दखील हैं। कथित बैनामा वहक वादिनी नं० 2 दिनंकित 8.12.97 तहरीर करने का अधिकारी उसे नहीं रह गया है। वादिनी नं०

Rahimabad
24.05.19

1 द्वारा प्रतिवादीगण के हक में दिनांक 23.01.87 को प्रथम दस्तावेज बैनामा तंहरिर कराकर रजिस्ट्ररी करा दिया है- लिहाजा वादिनी नं० 2 के हक में कथित बैनामा जाल व फरेव पर आधारित है। कथित बैनामा दिनांकित 08.12.97 की कोई पाबंदी आराजी निजाई अथवा प्रतिवादीगण पर नहीं है।

अतः याचना की गई कि दावा वादिनीगण हर हालत में खारिज होने योग्य है और प्रतिवादीगण खर्चा मुकदमा हस्त दफा 35अ जा०दी० पाने के अधिकार हैं।

वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब कागज सं० 29क प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि, वादिनी नं० 1 ने वादिनी नं० 2 के पक्ष में दिनांक 08.12.97 को विवादित भूमि का विक्रय पत्र लिखते हुए वादिनी नं० 2 को अपनी ही भांति कब्जा व दखल प्रदान कर दिया है और वाद बैनामा वादिनी नं० 2 ने राजस्व अभिलेखों में अपना नामान्तरण करा लिया है और वर्तमान में उस पर काविज दखील है। वादिनी नं० 1 ने कभी रामप्रीति के हक में कोई मुख्तारनामा नहीं लिखा है कथित बैनामे की जानकारी वादिनी को दिनांक 07.10.98 को हुई। कथित बैनामे को कोई प्रतिफल वादिनी नं० 1 ने रामप्रीति व जयप्रकाश से नहीं लिया है। कथित बैनामे पर वादिनी नं० 1 ने रामप्रीति के पक्ष में कोई मुख्तारनामा नहीं लिखा है और न ही मुख्तारनामों पर अंगूठा ही लगाया है। विवादित जम्इन की एकमात्र स्वामिनी वादिनी सं० 2 है प्रतिवादीगण से विवादित निजाई का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण लोभी प्रकृति के हैं जिन्का पेशा हमेशा से दूसरों की जमीन हडपने का रहा है। चूंकि कथित बैनामे व मुख्तारनामे से भविष्य में वादिनीगण के स्वत्वों पर जबाव उत्पन्न होने का अंदेश था लिहाजा मजबूर होकर प्रस्तुत वाद संस्थित करना पड़ा जो डिकी होने योग्य है।

प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र कागज सं० 128क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी का यह अभिकथन सरासर गलत है कि, उसे दस्तावेज बैनामा की जानकारी शुरू अक्टूबर 1998 में हुई। दावा वादी मियाद बाहर है। वाद पत्र के सभी कथनों से इन्कार है और पूर्व में दाखिल प्रतिवाद पत्र बिल्कुल सही है। तदनुसार दावा वादीगण मय खर्चा निरस्त किये जाने की याचना की गई।

वादीगण व प्रतिवादगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा को निम्नलिखित वादविन्दु विरंचित किये गए:-

1. क्या विवादित दस्तावेज बैनाम वादपत्र की धारा-7 में वर्णित आधार पर निरस्त होने योग्य है?
2. क्या वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न है?
3. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
4. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अर्पाप्त है?
5. उपशम, जो वादी को प्रदान किया जा सके?
6. क्या दावा वादीगण अवधि बाधित है?
7. क्या चकबंदी न्यायालय में आराजी निजाई के संबंध में वाद लंबित है, यदि हाँ, तो प्रभाव?

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8ग1 से नकल दस्तावेज बैनामा दिनांकित 7 मार्च सन् 87, प्रतिलिपि वाद पत्र दिनांकित 06.07.99, नकल आदेश दिनांक 06.03.99, नकल षट्वार्षिक खतौनी 1412 से 1417 खाता सं० 472/0-409, नकल प्रतिलिपि आदेश 0.08.2001 वाद सं० 478, सूची 137ग से नकल आदेश दिनांक 16.03.09, नकल अर्जी दावा, नकल , नकल आदेश दिनांक 26.10.2006, प्रश्नोत्तर अन्तर्गत धारा-52 को प्रस्तुत किया गया है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लू. 1 यशोदा देवी का साक्ष्य शपथपत्र 31क2 पी.डब्लू. 2 रामसागर पाण्डेय का साक्ष्य शपथपत्र 99क2 प्रस्तुत कर परीक्षित कराया।

पी०डब्लू० 3 कागज सं० 100क2 राकेश त्रिवेदी हस्तलेख विपेशज्ञ को परीक्षित कराया।

प्रतिवादी की ओर से अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी. डब्लू. 1 अरविन्द कुमार का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं० 102क2 व डी.डब्लू. 2 दुर्गविजय का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं० 104क2 को शपथ साक्ष्य परीक्षित कराया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 34ग1 से नकल आदेश दिनांकित 24.01.72, छायाप्रति मुख्तारनामा दिनांकित 01.01.72, नकल दस्तावेज बैनामा दिनांकित 17.01.87, नकल आदेश दिनांकित 24.02.99, प्रतिलिपि आदेश वाद सं० 395 दिनांकित 24.11.87, प्रतिलिपि समझौता दिनांकित 24.11.87, प्रतिलिपि वाद सं० 530 से 535 आदेश दिनांक 30.04.91, छायाप्रति नकल खतौनी दिनांकित 23.03.74, सूची 62ग1 से नकल आदेश दिनांक 14.12.2005, नकल फार्मर आर्डर दिनांकित

02/11/2019 11:05:19

14.12.05 मूलवाद सं० 742/98, सूची 68गा० से नकल मुख्तारनामा दिनांकित 01.01.72 न्यूजी 133गा० से प्रश्नोत्तरी, प्रस्तुत किया है।

वादिनी की ओर से निम्न केश लों प्रस्तुत किया:-

1. 208 एल०सी०डी० 845, 2. 1987 ए०सी०जे० 190, 3. 209 एल०सी०डी० 1344 एरा०सी०, 4. 1991 ए०सी०जे० 887 एस०सी०, 5. 2001 ए०सी०जे०, 32, 6. 212 एल०सी०डी०, 141380 एरा०सी०, 7. 2011 (29) एल०सी०डी० 2083 एस०सी०

प्रतिवादी की ओर से निम्न केश लों प्रस्तुत किया:-

1. 2018 All.CJ. 2181, 2. 1976 ALR 42 SC DB., 3. 2003 (94) RD644 4. 203 रोल०टो 216
- उभयपक्षों के बहान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन, किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 1

वादबिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या विवादित दस्तावेज बैनान वादपत्र की धारा-7 में वर्णित आधार पर निरस्त होने योग्य है? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। चूंकि वादिनी द्वारा बैनामा दिनांकित तथा वक्तोवतनाना दिनांकित 12.01.2005 को निरस्त करवाने हेतु वाद संस्थित किया गया है। ऐसे में सर्वप्रथम यह देखा जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है कि क्या वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर बैनाना दिनांकित निरस्त होने योग्य है।

वादिनी द्वारा बैनामा मंसूखी का पहला आधार यह लिया गया है कि वादिनी सं० 1 ने दस्तावेज बैनाना मनात दावा तहरीर नहीं किया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र कथन किया गया कि, वादिनी सं० 1 मूनिघर भूखण्ड संख्या-472/409 व भूखण्ड सं० 494क/0.041 स्थित ग्राम कुठमा परगना चुरहुस्पुर तहसील जलालपुर जिला अन्वेडकरनगर की थी और उस पर काविज दखील थी। वादिनी सं० 1 को अपनी आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता थी जिसका इंतजाम उसके लिए विदून् इन्तबगल जायदाद नुनकिन नहीं था इसलिए वादी सं० 1 ने भूखण्ड संख्या-472 को जरिए दस्तावेज बैनामा रजिस्ट्ररी शुदा दिनांक 08.12.97 वहक वादिनी सं० 2 मुंतकिल करके कब्जा दखल वादिनी सं० 2 को करा दिया। उन्होंने दिनांक 23.02.98 को एक प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 31.01.98 उक्त बैनामे को मंसूख करने हेतु न्यायालय तहसीलदार जलालपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अपने को बैनामेदार होना जाहिर किया किन्तु बैनाने की तारीख आदि नहीं लिख। इस प्रार्थना पत्र की जानकारी वादीगण को अक्टूबर 1998 में हुई। तब वादीगण ने रजिस्ट्ररी दफ्तर जलालपुर में दिनांक 07.10.98 को मुआइना कराया और दस्तावेज बैनाना की नकल हासिल की। जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से दस्तावेज बैनामा मनात दावा मंसूख कराने को कहा परन्तु वे सहमत नहीं हुए और इन्कार कर दिया। इसलिए दावा दायर करने की आवश्यकता हुई।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कथनों का खण्डन करते हुए विशेष कथन किया गया कि, वादिनी सं० 1 को समय समय पर रूपयों की आवश्यकता पड़ती रही इसलिए उसने गाटा सं० 1167, 1193, 1199 आदि स्थित मौजा रतना का बैनामा वहक रामप्रीति व रामनथन व रामसुमेर तहरीर करके कब्जा व दखल दे दिया जिसकी खारिज दाखिल भी न्यायालय ए.एस.डी.ओ. अकबरपुर मुकदमा सं० 671/434 दिनांकित 28.01.71 द्वारा हो गयी। वादिनी सं० 1 द्वारा खूब समझ कर एक मुख्तारनामा आम दिनांक 1 जनवरी 1972 वहक रामप्रीति उपाध्याय पुत्र श्री झपरी को तहरीर करके रजिस्ट्ररी करा दिया। मूल मुख्तारनामा आम दिनांक 01.01.72 उसने उपनिबंधक अकबरपुर के समक्ष पेश किया और उसके तथ्यों को भलीभांति सुनकर तस्लीम किया उस पर उसने अपने निशानी अंगूठा आवश्यकतानुसार लगाया और उसके कहने से ही गवाहान ने अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठे लगाए जिससे वह पाबंद है। दौरान चकवंदी वादिनी सं० 1 का मौजा रतना के चक संख्या-6082 आदि को भी रूपयों की जरूरत होने पर उसने दिनांक 22.12.86 को बन्दोयस्त अधिकारी चकवंदी फौजावाद से अनुगति प्राप्त की और उसका बैनामा जरिए मुख्तार आम रामप्रीति उपाध्याय यहक प्रतिवादीगण पूर्व तय शुदा प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 17.01.87 को रजिस्ट्ररी करा दिया। रामराजी के हक व हिस्से को अपना जाहिर करते हुए बिना किसी आधार के रामगूरत नामक व्यक्ति द्वारा चकवंदी न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र रामगूरत बनाम रामप्रीति याद सं० 530 से 533 ग्राम रतना इस आशय का दिनांक 16.10.84 को दिया गया कि यशोदा देवी द्वारा कोई मूल मुख्तारनामा आम नहीं

11/10/19
2/4/19

द्वारा की गई। विद्वान बन्दोवस्त अधिकारी चक्रवर्ती द्वारा दिनांक 22.12.86 को विक्रय की प्रतीति के विरुद्ध श्री राममूरत द्वारा न्यायालय चक्रवर्ती फैजाबाद के यहां निगरानी सं० 153 राममूरत बनाम यशोदा देवी आदि प्रस्तुत की गई जो दिनांक 24.2.99 को निरस्त हुई। मुख्तारनामा आम दिनांकित 01.01.72 नविस्ते यशोदा देवी बहक रामप्रीती उपाध्याय को बार बार वादिनी नं० 1 स्वीकार कर चुकी है, और न ही मुख्तारनामा के विरुद्ध कोई आपत्ति की गई है। वादिनी नं० 1 को रूपयों की सख्त आवश्यकता थी इसलिए उसने गाटा सं० 472 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 6 धूर तथा 494क रकबा 3 बिस्वा 5 धूर स्थित मौजा कुठमा का दरस्तावेज बैनामा तय शुदा प्रतिफल प्राप्त करके तहरीर किया है। निजाई दरस्तावेज बैनामा दिनांकित 23.01.87 से प्रतिवादीगण आराजी निजाई के भूमिधर है तथा उस पर कायिज दखील है।

अब यह पे यह विचारणीय प्रश्न है कि, क्या वादिनी नं० 1 द्वारा रामप्रीती उपाध्याय के पक्ष में दिनांक 01 जनवरी सन् 1972 में मूल मुख्तारनामा आम निरस्पादित किया गया है। जैसा कि वादिनी नं० 1 द्वारा इस तथ्य से पूर्ण रूप से इन्कार किया है कि, उसने रामप्रीती उपाध्याय के पक्ष में कभी कोई मूल मुख्तारनामा आम नहीं लिखा है। कथित मूल मुख्तारनामा आम सरासर फर्जी है। और वादिनी नं० 1 का निशान अंगुठा नहीं है। और रामप्रीती उपाध्याय द्वारा उक्त कथन का खण्डन करते हुए कहा है कि, वादिनी नं० 1 द्वारा खूब समझ कर एक मूल मुख्तारनामा आम दिनांक 1 जनवरी 1972 बहक रामप्रीती उपाध्याय पुत्र श्री झपसी को तहरीर करके रजिस्ट्ररी करा दिया। मूल मुख्तारनामा आम दिनांक 01.01.72 उसने उपनिबंधक अकबरपुर के समक्ष पेश किया और उसके तथ्यों को भलीभांति सुनकर तस्लीम किया उस पर उसने अपने निशानी अंगूठा आवश्यकतानुसार लगाया और उसके कहने से ही गवाहान ने अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठे लगाए जिससे यह पाबंद है।

यह पर प्रतिवादी को साबित करना होगा कि, वादिनी नं० 1 द्वारा खूब समझ कर एक मूल मुख्तारनामा आम दिनांक 1 जनवरी 1972 बहक रामप्रीती उपाध्याय पुत्र श्री झपसी को तहरीर करके रजिस्ट्ररी करा दिया। मूल मुख्तारनामा आम दिनांक 01.01.72 उसने उपनिबंधक अकबरपुर के समक्ष पेश किया और उसके तथ्यों को भलीभांति सुनकर तस्लीम किया उस पर उसने अपने निशानी अंगूठा आवश्यकतानुसार लगाया और उसके कहने से ही गवाहान ने अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठे लगाए।

यह उल्लेखनीय है कि, पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा मूल मुख्तारनामा आम प्रस्तुत नहीं की है। पत्रावली के आदेश पत्रक के अवलोकन दिनांक 25.08.2008 को न्यायालय द्वारा मूल मुख्तारनामा आम प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादीगण को आदेशित किया गया था और पुनः दिनांक 05.09.2018 को न्यायालय द्वारा मूल मुख्तारनामा आम को प्रतिवादीगण हेतु आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के आदेश के बाद में मूल मुख्तारनामा आम को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर मूल मुख्तारनामा आम प्रस्तुत नहीं है। बिना मूल मुख्तारनामा आम यह ज्ञात नहीं हो सकता कि, वादिनी सं० 1 द्वारा कोई मूल मुख्तारनामा आम रामप्रीती उपाध्याय के पक्ष में दिनांक 01 जनवरी सन् 1972 पंजीकृत किया गया था जो कि वास्तविक है। मूल मुख्तारनामा आम का दलील प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया था। उसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा मूल मुख्तारनामा आम को गवाहों के समक्ष निष्पादन किये जोन का कथन अपने प्रतिवादपत्र में कहा है परन्तु उसके द्वारा कोई भी गवाह को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि, मूल मुख्तारनामा आम के जरिए जो बैनामा रामप्रीती उपाध्याय के द्वारा निरस्पादित किया गया है उसे उस आधार पर प्रश्नगत बैनामा किये जाने का अधिकार प्राप्त था। और पत्रावली पर विपेशज्ञ की राय की रिपोर्ट कागज सं० 93ग1 उपलब्ध है। हस्तलेख विपेशज्ञों की राय तात्विक नहीं होती है सम्पूष्ट साक्ष्य होती है जिसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सम्पूष्ट की जाती है। पत्रावली पर मूल मुख्तारनामा आम प्रस्तुत नहीं है अब यह पर मौखिक साक्ष्य से देखा जाना है कि, क्या कोई मूल मुख्तारनामा आम वादिनी सं० 1 द्वारा रामप्रीती उपाध्याय के पक्ष में निरस्पादित किया है। वादिनी सं० 1 ने स्वयं को बतौर पी०डब्लू० 2 प्रस्तुत कर परीक्षित कराया जिसने अपने जिरह में कहा है कि, मैंने रामनयन, रामसुमेर व रामप्रीत के हक में कोई बैनामा नहीं लिखा है। वहीं डी०डब्लू० 1 पेज नं० 108क अरविन्द कुमार ने अपने जिरह में यह कहा है कि, अभिराजी के हक में स्वयं यशोदा देवी ने बैनामा लिखा था। मूल मुख्तारनामा आम के जरिए नहीं लिखा था और आगे के पैरा में कहा है कि, यशोदा देवी ने जब अभिराजी के हक में बैनामा लिखा तब वह तहसील जाने लायक थी आज भी यशोदा देवी तहसील जाने लायक हैं। मूल मुख्तारनामा आम लिखे जाने के समय मैं तहसील में मौजूद नहीं था मेरे पिता रामप्रीती उपाध्याय ने हम लोगों के हक में बैनामा मुख्तार आम बनकर लिखा है..... मेरे पिता रामप्रीती उपाध्याय ने पैसे की लेनदेन किया था। रामप्रीती उपाध्याय के कितना पैसा दिया था

श्री ७५०५७

156/89/4

इसकी जाहरी मुझे नहीं है। अतः पक्षकारों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि, वादिनी सं० 1 द्वारा रामप्रीती उपाध्याय के पक्ष में मूल मुख्तारनामा आम लिखे जाने के समय वादिनी सं० 1 ने तहसील आने जाने लायक थी और ऐसी परिस्थिति में वादिनी सं० 1 द्वारा रामप्रीती उपाध्याय के पक्ष में मूल मुख्तारनामा आम लिखकर अपनी भूखण्ड 472 का विषय करना अविश्वसनीय प्रतीत होता है। डी०डब्लू० 1 ने अपने ही जिरह में यह कहा है कि, उसके पिता रामप्रीती उपाध्याय उन लोगों के हक में बैनामा मुख्तार आम बनकर लिखा है। अतः स्पष्ट है कि, पिता रामप्रीती उपाध्याय द्वारा अपने ही पुत्रों को यशोदा देवी की भूखण्ड सं० 472 का बैनामा, मूल मुख्तारनामा आम बनकर लिखा गया है जो कि संदिग्ध है। प्रत्युक्त साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रतिवादीगण के कथन का समर्थन नहीं करती है। प्रत्युक्त साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में हस्तलेख विशेषज्ञ की राय महत्व नहीं रखती। चूकि पत्रावली पर मूल मुख्तारनामा आम प्रस्तुत नहीं है जिससे न्यायालय स्वयं तुलना कर सके कि अगूठा निशान वादिनी सं० 1 का मूल मुख्तारनामा आम पर है या नहीं, ऐसे में हस्तलेख विशेषज्ञ की राय आख्या 93ग1 का महत्वहीन है।

वादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान वहस यह तर्क किया गया कि, वादिनी सं० 1 ने अपने और सम्पत्ति का विक्रय स्वयं करी थी तो ऐसी कौम सी परिस्थिति आ गई जिसमें उसे अपनी भूखण्ड सं० 472 का बैनामा जरिए मूल मुख्तारनामा आम करने की आवश्यकता आन पड़ी। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि, वादिनी सं० 1 को समय समय पर रूपयों की आवश्यकता पड़ती रही इसलिए वादिनी सं० 1 ने उसका बैनामा जरिए मूल मुख्तारनामा आम रामप्रीती उपाध्याय वहक प्रतिवादीगण पूर्व तय शुदा प्रतिफल प्राप्त करके दिनांक 17.01.1987 को रजिस्ट्री कर लिया।

अब जहां तक मूल मुख्तारनामा आम के जरिए किसी अचल सम्पत्ति के विक्रय का प्रश्न है, तो हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने Suraj Lamp and Pvt. Ltd. v/s State of Haryana and another. (2012) 1 SCC 656 के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि, Transactions of the nature of GPA sales or Agreement to Sell/GPA/Will transfers do not convey title and do not amount to transfer nor can they be recognized or valid mode of transfer of immovable property.

अतः साबित है कि, वादिनी सं० 1 ने कभी रामप्रीती के हक में कोई मूल मुख्तारनामा आम नहीं लिखा है। ऐसी स्थिति में रामप्रीती उपाध्याय द्वारा प्रतिवादीगण सं० 1 ता 7 के पक्ष में बैनामा दिनांक 23.01.1987 बिना अधिकार के अंतरित किया गया है। विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि— 'कोई भी व्यक्ति अपने हक से उँचा हक नहीं अंतरित कर सकता है (Nemo dat quod non habet) विक्रय-विलेख 80ग बिना अधिकार के किया निष्पादित दस्तावेज है। जो विधि के दृष्टि में शून्य हैं।

वादिनी द्वारा बैनाम मंसूखी का अगला आधार यह लिया गया है कि, वादिनी सं० 1 से प्रतिवादीगण से विवादित जायदाद को विक्रय करने का कोई संविदा नहीं हुआ। अब जहां वादिनी सं० 1 की आवश्यकता पड़ने पर जरिए मुख्तार आम भूखण्ड सं० 472 का प्रश्न है तो, आवश्यकता को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य डी०डब्लू० 1 में कहा है कि, रामप्रीती उपाध्याय ने कितना पैस इन्हे दिया था इसकी जानकारी नहीं है और आगे कहा है कि, यह जानकारी नहीं है कि, रामप्रीती उपाध्याय ने यशोदा देवी से बैनामा की बातचीत कब और किसकी मौजूदगी में किया था। रामप्रीती उपाध्याय ने यशोदा देवी से बातचीत राममिलन, शिवपूजन और रामसिंगार के सामने बात की थी इनमें से कोई गवाही देने नहीं आया। जब मेरे पिता व यशोदा देवी के बीच मूल मुख्तारनामा आम लिखने की बात हुई तब भी मैं मौजूद नहीं था। अतः डी०डब्लू० 1 अरविन्द कुमार जब बैनामा की बात हुई और जब प्रतिफल यशोदा देवी को दिया गया तब भी मौजूद नहीं था और न उसकी जानकारी है। और डी०डब्लू० 2 के बयान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि, जिससे यह साबित हो कि उसके समक्ष बैनामा लिखे जाने की बातचीत हुई हो और उसके समक्ष यशोदा देवी को बैनाम का प्रतिफल दिया गया हो। अतः साबित है कि, वादिनी सं० 1 व रामप्रीती उपाध्याय के बीच बैनामा किये जाने का कोई करार नहीं हुआ था।

वादिनी द्वारा बैनामा मंसूखी का अगला आधार यह लिया गया है कि दस्तावेज बैनामा मनात दावा बिना जर बदल है। और यह आधार लिया है कि, विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है बल्कि वादिनी सं० 2 का कब्जा है। वादिनी सं० 1 ने अपने वादपत्र में कहा है कि, वादिनी सं० 1 को अपनी आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता थी जिसका इंतजाम उसके लिए विद्वान इन्तकाल जायदाद मुमकिन नहीं था इसलिए वादी सं० 1 ने भूखण्ड संख्या-472 को जरिए दस्तावेज बैनामा रजिस्ट्ररी शुदा दिनांक 08.12.97 वहक वादिनी सं० 2 मुंतकिल करके कब्जा दखल वादिनी सं० 2 को करा दिया। वादिनी गवाह पी०डब्लू० 1 ने अपने मुख्य साक्ष्य में अपने कथनों का समर्थन किया है और पी०डब्लू० 2 पेज सं० 102क1 ने अपने जिरह में कहा है कि, झगड़े वाली जमीन पर यशोदा देवी का कब्जा है जिसके खण्डन

१०१०/१०१०/१०१०

में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि, विवादित संपत्ति पर प्रतिवादी सं० 1 ता 7 का कब्जा है और वादीगण का नहीं है। अतः वादिनी के कथनों पर बल मिलता है।

वादिनी द्वारा बैनामा मंजूरी का अगला आधार यह लिया गया है कि दरतावेज बैनामा मनात दावा के कायम रहने से भविष्य में वादीगण के स्वत्व की हानि पहुंचने की संभावना है। पूर्व के विस्तृत विवेचन से यह पाया गया है कि, रामप्रीती उपाध्याय द्वारा विवादित बैनामा दिनांक 23.01.1987 बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी सं० 1 ता 7 को लिखा गया है जोकि विधि के दृष्टि में शून्य है।

उक्त समस्त तथ्य साक्ष्यों व परिस्थितियों को देते हुए न्यायालय का यह मत है कि वादिनी अपने कथानक को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है तदनुसार वादविन्दु सं०-1 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादविन्दु सं० 2

वादविन्दु सं० 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न है? यह वाद विन्दु प्रतिवादी का है जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने इस वादविन्दु को साबित करने हेतु कोई बल नहीं दिया गया है और न ही अपने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जिससे प्रतिवादी की इस वादविन्दु पर बल मिलता है। अतः वादविन्दु सं० 2 नकारात्मक रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादविन्दु सं० 3 व 4

वादविन्दु सं० 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है? तथा वादविन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या प्रदत्त न्यायशुक्ल अपर्याप्त है? उक्त वादविन्दु का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2005 को किया जा चुका है। जो इस निर्णय का अंश होगा।

निस्तारण वादविन्दु सं० 5

वादविन्दु सं० 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि, उपशम, जो वादी को प्रदान किया जा सके? अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, साक्ष्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि वादी किसी भी अनुतोप को पाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादविन्दु सं० 5 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादविन्दु सं० 6

वादविन्दु सं० 6 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या दावा वादीगण अवधि वाधित है? यह वाद विन्दु प्रतिवादी का है और साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में यह कहा है कि, रामप्रीती उपाध्याय ने प्रतिवादी सं० 1 ता 7 के पक्ष में गाटा सं० 472 जरिए मुख्तारनामा आम दिनांक 23.01.1987 को रजिस्ट्रीकृत कर दिया। वादिनी को उक्त दस्तावेज बैनामा की जानकारी दिनांक 23.01.1987 से थी। लेकिन उसके द्वारा यह दावा सन् 1978 में किया गया। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान वहस यह तर्क लिया कि उसने रजिस्ट्री दपतर जलालपुर में दिनांक 07.10.1998 को मुआयना कराया और दस्तावेज बैनामा की नकल हासिल की तो वादिनीगण को प्रतिवादीगण के जान व फरेव की जानकारी हुई। और इसके पूर्व वादिनी को इसकी जानकारी नहीं थी। धारा 59 मियाद अधिनियम 1963 के अनुसार— लिखत या आज्ञापति को निरस्त या उत्सादित करने के लिये या संविदा को प्रतिसंहृत करने के लिए जब वे तथ्य जो लिखत या आज्ञापति को निरस्त या उत्सादित कराने के लिए या संविदा के प्रतिसंहृत करने के लिए वादी को हकदार करते हैं उसे ज्ञात हो जाय तो उसकी मियाद अवधि 3 साल है। और इसी धारा में यह भी प्रावधान है कि, वह समय जब से काल चलना प्रारम्भ होता है—जब वे तथ्य वादिनी को पहली बार ज्ञात होते हैं इनसे लिखित या डिक्री को रद्द या अपास्त या संविदा को विखण्डित करने का हक उसे प्राप्त होता है।

प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में यह कहा गया है कि, वादिनी को उक्त बैनामों की जानकारी 1998 से पहले थी। परन्तु उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न वादिनी के गवाह से जिरह में नहीं पूछा गया है और न ही कोई प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि,

15621/5

वादिनीगण को उक्त विवादित वैनामें की जानकारी 07.10.1998 से पूर्व थी। जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में वादिनी द्वारा अपने कथन को साबित किया गया है। उसकी जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे वादिनी के कथन पर अविश्वास किया जा सके। अतः प्रतिवादीगण द्वारा अपना यह वादविन्दु साबित करने में असफल रहे हैं अतः वादविन्दु सं० 6 प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णित किया जाता है।

निस्तारण वादविन्दु सं० 7

वादविन्दु सं० 7 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या चकवंदी न्यायालय में आराजी निजाई के संबंध में वाद लंबित है, यदि हाँ, तो प्रभाव? यह वाद विन्दु प्रतिवादी का है जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने इस वादविन्दु को साबित करने हेतु कोई बल नहीं दिया गया है और न ही अपने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जिससे प्रतिवादी की इस वादविन्दु पर बल मिलता है। अतः वादविन्दु सं० 7 नकारात्मक रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, साक्ष्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि वादिनी का वाद पूर्णतः रूप से साबित करने में सफल रही है। अतः वादिनी का वाद आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी का वाद आज्ञप्ति किया जाता है। ~~द्वितीय~~ मंजूरी दस्तोवज वैनामा नविस्ते रामप्रीती उपाध्याय बहक प्रतिवादगण 1 ता 7 दिनांक 23.01.87 जिसका निबंधन वही नं० 1 जिल्द 912 के गृह 229/230 में नम्बर 468 पर दिनांक 7.03.87 के निरस्त किया जाता है। ~~इस~~ आदेश की एक प्रति उप-निबन्धक जलालपुर को भेजी जाय।

पक्षकारगण अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक:-24.05.2019

Priya Bhushan
(प्रीती भूषण) 24.05.19

सिविल जज जू०डि० टाण्डा, अम्बेडकरगनर।

निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-24.05.2019

Priya Bhushan
(प्रीती भूषण) 24.05.19

सिविल जज जू०डि० टाण्डा, अम्बेडकरगनर।

पत्रावली न्यायालय 1

Priya Bhushan
27.05.2020
Civil Judge (SD) Tando
Ambekar Nagar.

नम्बर 2 व 3 को अपना नजदीक तारीन वारिस व कायम मुकाम छोड़ कर फौत कर गये चुनान्चे वादीगण उपरोक्त आवादी पर मालिकाना कायिज व दखील हैं और उसमें रहती सहती सहन व घेरा कायम रखती जानवर बांधती, खिलाती, उपली कण्डा पाथती, घूर आदि लगाती व घेरा कायम रखती व सहन व घेरा को काश्तकारी के दीगर कार्यों में भी इस्तेमाल करती चली आ रही हैं और उसके सहन में उनका एक पेड़ बरगद व एक पेड़ नीम था जिसको उन्होंने काट लिया लेकिन बरगद की जड़ अब भी मौके पर मौजूद है। प्रतिवादीगण से विवादित भूमि से कोई वास्ता व सरोकार न है और न कभी था लेकिन वे बजोर सरकशी विवादित भूमि सी,डी,ई,आई जो वादीगण का सहन है और ई,एफ,जी,एच जो वादीगण का घेरा है पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी आखिरी माह मार्च सन 1987 से दे रहे हैं और किसी सूरत वे तसफिया बेरून अदालत पर रजामन्द नहीं है। चुनान्चे उन्होंने 4 अप्रैल सन 1987 को किसी भी तसफिया बेरून अदालत से कतई इन्कार कर दिया उसी समय से अमादा फौजदारी हैं। इस तरह वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण पर दायर करके प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की याचना की।

प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद-पत्र कागज संख्या 21क1 में वादपत्र के सामान्य कथनों से इन्कार करते हुए विशेष कथन में यह कहा है कि वादिनी ने विवादित सम्पत्ति एवं अपने मकान का मानचित्र मौके के विरुद्ध दिया है। वादिनीगण का यह कथन सर्वथा निराधार है कि विवादित सम्पत्ति में भूमि में मालिक स्व0 राम अवध की है तथा उसपर उनका कब्जा व दखल था। वादिनी ने अपने मकान का दरवाजा उत्तर और पूरब नहीं दिखलाया है। वादीगण के मकान में पश्चिम और दक्षिण एक रास्ता जाता है और उस रास्ते के पश्चिम विवादित भूमि पड़ती है। इस बात को वादीगण ने जानबूझकर अपने मानचित्र में नहीं दिखलाया है। वादीगण के दो छोटे-छोटे मकान हैं जिसमें उसने अब एक में दर्शाने की कोशिश किया है उसके मकान का सहन दरवाजा उसके मकान के पूरब है। वादीगण के सहन के पूरब प्रतिवादीगण का घेरा है। वादिनीगण के उत्तरी दरवाजे से सटकर ही प्रतिवादीगण की जमीन है। वादिनीगण ने पश्चिम तरफ जो विवादित सम्पत्ति ई,एफ,जी,एच से दिखलाया है उसके मालिक राम अवध अथवा उनके पूर्वज कतई नहीं थे और न तो उन लोगों का इसपर कभी कब्जा ही था। जैसाकि धारा 17 में दक्षित किया गया है वादिनीगण के मकान के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक रास्ता

RnhBhushan
29.11.19

बलता है और उस रास्ते के पश्चिम प्रतिवादीगण की चरन है छप्पर होदी तथा खूँटे आदि हैं। उक्त धारा 18 में दर्शित भूमि के संबंध में दुनमुन आदि न व्यवधान पैदा किया अतएवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने दुनमुन आदि के विरुद्ध दावा स्थायी निपेचाजा का उनवानी सन राबद बनाम दुनमुन आदि दायर किया था जिसका मुकदमा नम्बर 91/80 था। उक्त मुकदमा दिनांक 08.02.85 को अतिरिक्त मुन्सिफ अकबरपुर ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के हक में डिग्री किया। उक्त मुकदमा की जानकारी वादिनीगण को थी। उक्त धारा 17 व 18 में दर्शित भूमि पर प्रतिवादीगण जमींदारी विनारा एक्ट के पूर्व एव उस समय तथा आज भी पत्तार आगदी के काबिज व दर्जित है। इसलिए अब अन्तर्गत धारा 9 जमींदारी विनारा एक्ट प्रतिवादीगण उनके मालिक हो चुके हैं। धारा 17 व 18 दर्शित भूमि पर प्रतिवादीगण लगातार सुल्लम सुल्ला अरसा लगभग 100 साल से अधिक हुआ है इजहार हकूक मिलकियत खुद वादीगण तथा अन्य गांव वालों की जानकारी में काबिज व दर्जित होते चले आ रहे है इसलिए अब जरिए प्रतिकूल कब्जा प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति के मालिक हो चुके है। वादीगण ने जो जमीन अपने मकान मजरी में अडार सी,डी,ई,आई से दिखलाया है इस जमीन की मालिक शीमति धिराजी बदा भसन्त थी उन्होंने दिनांक 05.02.74 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के हक में दरतावेज बेनामा लिखकर कब्जा दे दिया। उक्त दरतावेज बेनामा लिखने के पश्चात प्रतिवादीगण छप्पर रखे जो भिट्टी को दोबाल और थून्ही पर है। इसके अलावा प्रतिवादीगण उसपर जानवर आदि बांधते है उइते बेटते है तथा गृहस्थी में अन्य काय उसी पर सन्पन्न करने चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण लगातार सुल्लम सुल्ला व इजहार हकूक मिलकियत खुद वादीगण व गांव वालों की जानकारी में काबिज व दर्जित होते चले आ रहे हैं इसलिए कम से कम जरिए कब्जा भी प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति के मालिक हो चुके हैं। इस प्रकार दावा वादिनीगण निरस्त होने योग्य है।

उमय पक्षों के अनिवचनों के आधार पर निम्न लिखित वाद विन्दु विरचित किये गये हैं—

- 1- क्या वादीगण विवादित भूमि के मालिक व काबिज है?
- 2- क्या प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित भूमि के मालिक व काबिज है ?
- 3- क्या दावा वादीगण संचाय नहीं है ?

Anh Bv Shoo
29.11.19

- 4- क्या वादीगण को दावा दायर करने का अधिकार है?
 5- क्या दावा वादीगण विवन्धन के सिद्धान्त से बाधित है ?
 6- क्या वाद अवमूल्यांकित है एवं न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
 7- क्या वादीगण किस उपशम के पाने के अधिकारी हैं ?

वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 रामरती का मुख्य-परीक्षा शपथपत्र 41क2, पी0डब्लू0 2 नरेन्द्र देव का मुख्य-परीक्षा शपथपत्र 42क2 तथा पी0डब्लू0 3 बुद्धिराम वर्मा का मुख्य-परीक्षा शपथपत्र 62क2 प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें प्रति-परीक्षा हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 34ग से कागज संख्या 35ग वादपत्र मूलवाद संख्या 1048/94, 36ग1 जवाबदावा प्रतिवादी नम्बर 1, 37ग आयोग प्रतिवेदन, 38ग निर्णय दिनांक 09.05.05, 39ग मूलवाद में आज्ञाप्ति तथा सूची 59ग से कागज संख्या 60ग1/3 एकपक्षीय निर्णय दिनांक 03.11.2008, 60ग1/4 डिकी आदेश सूची 55ग से कागज संख्या 56ग अपील विरुद्ध आदेश दिनांकित 09.05.05 आदि की प्रमाणित प्रति दाखिल किया है।

प्रतिवादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में डी0डब्लू0 1 रामशब्द का मुख्य-परीक्षा शपथपत्र 66क2 व डी0डब्लू0 2 दूधनाथ का मुख्य-परीक्षा शपथपत्र 67क2 प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें प्रति-परीक्षा हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 68ग से कागज संख्या 68ग1/3 कमीशन रिपोर्ट मय नक्शा, 68ग1/6 ता 68ग1/9 मूलवाद में आज्ञाप्ति, वैनामा दिनांक 30.04.13 तथा सूची 97ग से कागज संख्या 98ग1/2 आदेश दिनांक 02.03.2017, 99ग फार्मल आर्डर, सूची 84ग से कागज संख्या 85ग आदेश दिनांक 10.12.13, सूची 108ग से कागज संख्या 109ग द्वितीय अपील नम्बर 180/13, सूची 111ग से कागज संख्या 112ग कमीशन रिपोर्ट आदि की प्रमाणित प्रति दाखिल किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 1 व 2:-

वादबिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि,

John B. Singh
Advocate

क्या वादीगण विवादित भूमि के मालिक व काविज हैं? वादविन्दु सं० 1 व 2 का निस्तारण एक साथ किया जाना समीचीन होगा।

वादिनी ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि विवादित भूमि जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर A.B.C.D.E.F.G.H से दिखलायी गयी है मुसम्मी राम अवध की मौरूसी आवादी थी जिसपर राम अवध के पूर्वज जमींदारी टूटने के पहले से मकान व सहन व घेरा आदि कायम रखते चले आये और वादहू मुसम्मी राम अवध उपरोक्त आवादी पर वरासतन व मालिकाना काविज व दखील हुआ। मुसम्मी राम अवध भी अरसा लगभग 6-7 साल पहले अपनी विधवा वादिनी नम्बर 1 व लड़कियों वादिनी नम्बर 2 व 3 को अपना नजदीक तारीन वारिस व कायम मुकाम छोड़ कर फौत कर गये। वादीगण उपरोक्त आवादी पर मालिकाना काविज व दखील हैं और उसमें रहती सहती सहन व घेरा कायम रखती जानवर बांधती, खिलाती, उपली कण्डा पाथती, घूर आदि लगाती व घेरा कायम रखती व सहन व घेरा को काश्तकारी के दीगर कार्यों में भी इस्तेमाल करती चली आ रही हैं और उसके सहन में उनका एक पेड़ बरगद व एक पेड़ नीम था जिसको उन्होंने काट लिया लेकिन बरगद की जड़ अब भी मौके पर मौजूद है।

प्रतिवादी ने अपने प्रतिवादपत्र में कहा है कि विवादित सम्पत्ति में भूमि में मालिक स्व० राम अवध की है तथा उसपर उनका कब्जा व दखल था। वादिनी ने अपने मकान का दरवाजा उत्तर और पूरब नहीं दिखलाया है। वादीगण के मकान में पश्चिम और दक्षिण एक रास्ता जाता है और उस रास्ते के पश्चिम विवादित भूमि पड़ती है। इस बात को वादीगण ने जानबूझकर अपने मानचित्र में नहीं दिखलाया है। वादीगण के दो छोटे-छोटे मकान हैं जिसमें उसने अब एक में दर्शाने की कोशिश किया है उसके मकान का सहन दरवाजा उसके मकान के पूरब है। वादीगण के सहन के पूरब प्रतिवादीगण का घेरा है। वादिनीगण के उत्तरी दरवाजे से सटकर ही प्रतिवादीगण की जमीन है। वादिनीगण ने पश्चिम तरफ जो विवादित सम्पत्ति इ.एफ.जी.एच से दिखलाया है उसके मालिक राम अवध अथवा उनके पूर्वज कतई नहीं थे और न तो उन लोगों का इसपर कभी कब्जा ही था।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में विवादित भूमि A.B.C.D.E.F.G.H को रामअवध की आवादी भूमि होना कहा है जिस पर रामअवध पूर्वज जमींदारी टूटने से पहले मकान व सहन व घेरा आदि कायम रखते चले आ रहे हैं और रामअवध 6-7 साल पहले अपनी विधवा वादिनी नं० 1 व अपनी

Prakash
29.11.19

लड़कियां वादिनी नं० 2 व 3 को अपने नजदीक वारिसा व कागम मुकामान छोड़कर फौत कर गया जिसके पश्चात विवादित भूमि पर गालिकाना कागिज व दखील है। वादीगण द्वारा विवादित भूमि को जरिए धारा-9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम प्राप्त होने का कथन किया है। अब मुख्य रूप से यह विचार करना है कि क्या विवादित भूमि जिरो अक्षर ई. आई.डी.सी. व जी.एच.एफ. से प्रदर्शित किया गया है वह भूमि वादीगण के स्वामित्व की भूमि है क्योंकि वादीगण को अपने विवादित भूमि पर इम्तिनाई पाने के लिए सर्वपथम उसे ही अपना स्वामित्व साबित करना होगा। वादी का मुख्य रूप से यह कथन कि विवादित भूमि उसके साथ धारा-9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत उसके मकान के संलग्न भूमि है तथा विवादित मकान के साथ संलग्न भूमि होने के नाते धारा-9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत निहित है। इसके लिए वादी को कि कोई भूमि उसके मकान के साथ निहित है उसे विवादित भूमि में अपना मकान तथा वह भूमि इस तरह की होनी चाहिए कि वह उस मकान के बेहतर उपयोग व उपभोग के लिए आवश्यक हो इस बिन्दु को वादी को साबित करना होगा।

धारा-9 जमींदारी विनाश अधि० के अनुसार किसी आस्थान में स्थित सब कुएं आवादी के पेड़ और सब इमारते जो किसी मध्यवर्ती कारतकारी किसी व्यक्ति की है या उसके द्वारा धारित है चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो मध्यवर्ती कारतकारी या दूसरे व्यक्ति के जिस भी दशा में बने रहेंगे और सम्यद्ध क्षेत्र सहित अथवा कुएं या इमारतों के सील के विषय में यह समझा जायेगा कि उनका बन्दोबस्त उनके साथ ऐसे प्रतिबन्ध और शर्तों पर किया गया है जो नियत किया जाय। धारा 3 (8) आस्थान की परिभाषा दी गयी है जिसके अनुसार उसमें गांव की आवादी के भाग भी सम्मिलित हैं। धारा-4 के अन्तर्गत आवादी की राज्य सरकार में निहित होती है अधिनियम की धारा-6 विशेष रूप से आवादी स्थल का प्रयोग करती है जिसमें जमींदारों के सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वे राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे। संक्षेप में प्रत्येक व्यक्ति निहित होने के दिनांक से अपने कुएं पेड़ पौधों आदि को अपने भू-भाग का पूर्ण स्वामी हो गया है। मकान के सहन अगवाड़ा पिछवाड़ा का भी स्वाभी हो गया है।

वादीगण द्वारा अपने वाद को साबित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 34ग से कागज संख्या 35ग वादपत्र मूलवाद संख्या

R. K. B. S. S. S.
29.11.19

1048/94, 36ग1 जवाबदावा प्रतिवादी नम्बर 1, 37ग आयोग प्रतिवेदन, 38ग निर्णय दिनांक 09.05.05, 39ग मूलवाद में आज्ञापति तथा सूची 59ग से कागज संख्या 60ग1/3 एकपक्षीय निर्णय दिनांक 03.11.2008, 60ग1/4 डिकी आदेश सूची 55ग से कागज संख्या 56ग अपील विरुद्ध आदेश दिनांकित 09.05.05 आदि की प्रमाणित प्रति दाखिल किया है।

वादीगण द्वारा वादपत्र के नक्शा नजरी में विवादित सहन E.D.C.I को वादीगण के मकान के उत्तर दर्शाया गया है। विवादित घेरा G.H.F. को वादीगण के मकान के पश्चिम तरफ वादीगण दर्शाया है। वादी साक्षी पी0 डब्लू-1 रामरती ने अपने जिरह में यह कहा है कि- "मेरे मकान के पूरब रामलौट का मकान है। रामलौट के मकान में दरवाजा नहीं है। रामलौट की वैसी ही जमीन पड़ी है कुछ बनवाया नहीं है मेरे मकान के उत्तर मेरी जमीन है। मेरे मकान के पश्चिम रामशब्द की जमीन है। दक्षिण रास्ता है। रास्ते के दक्षिण वंशराज शुक्ला का मकान है। मेरे मकान का सहन दरवाजा दक्षिण है। उत्तर मेरा कोई दरवाजा नहीं है और आगे की जिरह में यह कहा है कि धीराजी के मकान के उत्तर सोमई, सहती का मकान था। दक्षिण रामभरत गोसाई का मकान था। धीराजी के पश्चिम हमारी जमीन और मकान है। पी0 डब्लू-2 बुद्धिराम ने अपने जिरह विवादित भूमि की चौहद्दी बताते हुए यह कथन किया है कि "वह धीराजी के मकान की चौहद्दी नहीं बता सकता। रामरती के मकान की चौहद्दी बता सकता हूँ। रामरती के मकान के उत्तर सरिया है। इसके बाद इनकी जगह है। सरिया में दरवाजा नहीं लगा है।" वादी साक्षी द्वारा अपने जिरह में जो चौहद्दी विवादित सहन E.I.D.C. की बतायी है। वह वादपत्र के नक्शा नजरी व अमीन आख्या के मौके के अनुरूप है।

डी0डब्लू-1 रामशब्द ने अपने जिरह में यह कथन किया है कि "रामरती ने जो मुकदमा जमीन दायर किया है उनको मैं जानता हूँ विवादित जमीन के पूरब मेरा मकान है। पश्चिम रास्ता है। उत्तर तरफ रामलखन का घर है। दक्षिण तरफ रास्ता है। मैं तथा मेरे रामरती के ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं किया है। मैं रामरती तथा हरीराम के ऊपर मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा यह जमीन के बाबत किया था जो मुकदमा मैंने रामरती तथा हरीराम के ऊपर किया था उसकी चौहद्दी मैं बता सकता हूँ पूरब तरफ मेरा घर है। पश्चिम रास्ता है। उत्तर तरफ रामलहन का घेरा है। दक्षिण रामरती का घर है। उस मुकदमें में मेरी डिकी हुई थी।.....रामरती

Ramshankar
29.11.09

के मकान के उत्तर हमारा विवादित जमीन है रामरती के मकान के उत्तर हमारी विवादित जमीन है। दक्षिण मेरी जमीन है। जिसका विवाद चल रहा है। रामरती के मकान के पूरब रामरती का सहम है। तब मेरा घेरा है। रामरती के मकान के पश्चिम रास्ता है। मेरा इस मौके में दो मकान है। दोनों मकान कई बार में बने है। एक मकान मेरा रहाईशी तथा दूसरा जानवर वाला है। रहाईशी मकान में पूरब रामकरन का घर है।..... जिस मुकदमें में मे गवाही देने आया हूँ इसमें मेरा तथा मेरे भाई का जवाबदावा दाखिल है। विवादित भूमि मैंने नापा जोखा नहीं हूँ।..... रामअवध के पास कुल दो मकान है। दोनों मकान की लम्बाई चौड़ाई मैं नहीं नापा हूँ एक सरिया एक रहाईशी तथा बीच में आंगन था पश्चिम सरिया था सरिया के पश्चिम रास्ता मकान और सरिया के उत्तर विवादित जमीन है। मकान व सरिया के दक्षिण भी विवादित जमीन है।”

यहां पर कमीशन रिपोर्ट कागज सं० 112ग2 का अवलोकन किया जाना सामाचीन होगा। कमीशन रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अमीन द्वारा मकान वादीगण के दक्षिण सहन वादी अक्षर G.D.F.E से दर्शाया है और वादीगण के मकान से विवादित भूमि G.D.F.E पर एक दरवाजा दर्शाया गया है और विवादित भूमि I.J.K.L को वादीगण के मकान के पश्चिम दर्शाया है और वादीगण के मकान से कुछ दूरी पर विवादित भूमि I.J.K.L दर्शाया गया है और वादीगण के मकान से विवादित भूमि की ओर कोई भी दरवाजा व खिड़की विवादित घेरा I.J.K.L में नहीं दर्शाया गया है।

डी०डब्लू० 1 रामशब्द ने अपने जिरह में विवादित भूमि की चौहद्दी बताते हुए यह कानि किया है कि मकान व सरिया के दक्षिण विवादित जमीन हैं अतः प्रतिवादी साक्षी द्वारा अपने बयान में यह स्वीकार किया गया है कि राम अवध के मकान के दक्षिण विवादित जमीन है जैसाकि वादीगण द्वारा अपने नक्शा नजरी में विवादित सहन को अपने मकान के दक्षिण दर्शाया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवादित सहन E.I.D.C वादी के मकान के दक्षिण स्थित हैं अमीन आख्या कागज संख्या 112ग में अमीन द्वारा विवादित सहन E.I.D.C वादीगण के मकान से सटकर दक्षिण ओर दर्शाया है और वादीगण के गवाह द्वारा विवादित सहन E.I.D.C को उसके मकान के दक्षिण स्थित होना कहा है। जमींदारी विनाश उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा-9 के अनुसार किसी भूमि के संबंध में कहा जा सकता है कि किसी मकान के साथ वह भूमि इस तरह से

P. N. B. W. S. H. O.
29.11.19

संलग्न है जो उस मकान के बेहतर उपयोग व उपयोग के लिए आवश्यक तो तभी भूमि उस मकान के साथ सम्बद्ध भूमि मानी जायेगी। विवादित राहन E.I.D.C वादीगण के मकान के दक्षिण राटी पुर्य भूमि है और वादीगण के मकान का दरवाजा विवादित राहन की ओर दर्शित है। अतः यह साबित होता है कि विवादित भूमि E.I.D.C वादीगण के मकान के साथ संलग्न भूमि है और धारा 9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत वादीगण के मकान के साथ निहित हो चुकी है। अतः वादीगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विवादित राहन E.I.D.C उनके मकान के साथ धारा 9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में निहित हो चुकी है और वह उसके स्वामी है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में विवादित भूमि को जरिये धारा 9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत स्वयं को स्वामी होने का कथन किया गया है और विवादित भूमि पर अपना लगातार खुल्लम खुल्ला कब्जा सौ वर्षों से अधिक होने का कथन कर विवादित भूमि पर अपना कब्जा व दखल जरिये प्रतिकूल कब्जा प्राप्त होने का कथन किया है। यहां पर यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के मूल स्वामी प्रतिवादीगण नहीं हैं और विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व व कब्जा जरिये प्रतिकूल कब्जे के आधार पर होने का कथन किया है। अब यहां पर इस बिन्दु पर विचार किया जाना है कि क्या प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर लगभग सौ वर्षों से कागिज हैं। इस वादविन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। किसी सम्पत्ति पर प्रतिकूल कब्जा होने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति का उस सम्पत्ति पर वास्तविक कब्जा व शांतिपूर्ण और बिना किसी रुकावट व बाधा के लगातार 12 वर्षों से कायम चला आ रहा है।" परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं अपने प्रतिवादपत्र में कथन किया गया है कि इससे पूर्व भी वादी से उनका मुकदमा चलता रहा है। अतः यह स्वयं प्रतिवादी के ही कथन के अनुसार स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा बिना किसी रुकावट के 12 वर्षों से नहीं है और जहां तक साक्ष्यों का प्रश्न है तो प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि उनका कब्जा सौ वर्षों से गांव वालों की जानकारी में है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने गांव के किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपरिथत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादीगण अपने इस बिन्दु को साबित करने में असफल रहे हैं कि विवादित

J. B. W. S. K. M.
29.11.19

भूमि पर उनका कब्जा सौ वर्षों से अधिक बिना किसी रुकावट व बाधा के चलता आ रहा है।

जहां तक विवादित घेरा है G.H.F.E का कथन है तो उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादी के मकान के पश्चिम जिसे उसने अपने घेरे की जमीन का कथन किया है। उस ओर वादी का कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है और अमीन आख्या के अनुसार वादीगण के मकान के पश्चिम कुछ दूरी पर स्थित है। वादपत्र में विवादित घेरा जी0एच0एफ0ई0 के घेरा और वादीगण के मकान के बीच में कोई भी खाली जगह दर्शाया नहीं गया है। जबकि अमीन आख्या 112ग के अनुसार वादीगण के मकान व विवादित घेरा के बीच में थोड़ी सी खाली जगह दर्शाया गया है। वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि उस खाली जमीन का उपयोग व उपभोग किसके द्वारा किया जा रहा है। अतः यह औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है कि वादीगण के मकान से कुछ जमीन छोड़कर उसका सहन हो। धारा-9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत किसी भी भूमि को सटिल होने के लिए उसका किसी मकान के साथ संलग्न होना चाहिए और जैसा कि कमीशन रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित घेरा जी. एच. एफ. ई. के मध्य थोड़े जगह मौजूद है और वादीगण के मकान से घेरे की ओर कोई दरवाजा नहीं है। अतः विवादित घेरा जी एच एफ ई वादीगण के मकान के साथ धारा 9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत निहित नहीं मानी जा सकती है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों व परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय का यह मत है कि वादीगण वादबिन्दु संख्या-1 को विवादित सम्पत्ति अक्षर-C D E I के बावत आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहे हैं तथा विवादित सम्पत्ति अक्षर- E F G H के बावत साबित करने में असफल रहे हैं। प्रतिवादीगण अपना वादबिन्दु संख्या 2 साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। अतः वादबिन्दु सं0- 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु सं0 3:-

वादबिन्दु सं0 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या दावा वादीगण संघार्य नहीं है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादी का है जिसको साबित

Rajiv K. Sharma
29.11.19

करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने इस वादविन्दु को साबित करने हेतु कोई बल नहीं दिया गया है और न ही अपने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे प्रतिवादी की इस वादविन्दु पर बल मिलता है। अतः प्रतिवादी वादविन्दु सं० 3 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णित किया जात है।

निस्तारण वादविन्दु सं० 4:-

वादविन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या वादीगण को दावा दायर करने का अधिकार है? यह वाद विन्दु प्रतिवादी का है जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने इस वादविन्दु को साबित करने हेतु कोई बल नहीं दिया गया है और न ही अपने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे प्रतिवादी की इस वादविन्दु पर बल मिलता है। अतः प्रतिवादी वादविन्दु सं० 4 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णित किया जात है।

निस्तारण वादविन्दु सं० 5:-

वादविन्दु सं० 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या दावा वादीगण विबंधन के सिद्धांत से बाधित है? यह वाद विन्दु प्रतिवादी का है जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने इस वादविन्दु को साबित करने हेतु कोई बल नहीं दिया गया है और न ही अपने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे प्रतिवादी की इस वादविन्दु पर बल मिलता है। अतः प्रतिवादी वादविन्दु सं० 5 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णित किया जात है।

निस्तारण वादविन्दु सं० 6:-

वादविन्दु सं० 6 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या वाद अल्पमूल्यांकित है? एवं न्यायशुल्क अपर्याप्त है? उक्त वादविन्दु का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2002 को किया जा चुका है। जिसपर पुनः निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता नहीं है अतः आदेश दिनांकित 01.04.2002 डिक्री का अंश रहेगा।

निस्तारण वादविन्दु सं० 7:-

वादविन्दु सं० 7 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या वादीगण किस उपशम को पाने का अधिकारी है? वाद विन्दु संख्या-1 व 2 के निस्तारण व विवेचना से स्पष्ट है कि वादीगण अपना वाद विवादित सम्पत्ति अक्षर-C D E I के वावत आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहे है तथा विवादित सम्पत्ति अक्षर- E F G H के वावत साबित करने में असफल रहे


Ranjana

है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, साक्ष्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि वादीगण अपना वाद विवादित सम्पत्ति अक्षर-C D E I के बावत आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहे हैं। ऐसे में वादीगण मांगे गये अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी नहीं है। तदनुसार दावा वादीगण विवादित सम्पत्ति अक्षर-C D E I के बावत आंशिक रूप स्वीकार किये जाने तथा विवादित सम्पत्ति अक्षर-E F G H के बावत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण विवादित सम्पत्ति अक्षर-C D E I के बावत आंशिक रूप से आज्ञापत किया जाता है तथा विवादित सम्पत्ति अक्षर-E F G H के बावत निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगणको निषेधित किया जाता है कि वह विवादित सम्पत्ति अक्षर-C D E I पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में कोई हस्तक्षेप न करें। नक्शा अमीन कागज संख्या 112ग2 डिकी का अंश होगा।


दिनांक:-29.11.2019


(प्रीती भूषण)

सिविल जज(जू0डि0)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षित किया गया है।

दिनांक:-29.11.2019


(प्रीती भूषण)

सिविल जज(जू0डि0)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।



प्रभावितकमा जल है।
Preeti Bhushan
Civil Judge (J0D0) Tanga
Ambekar Nagar.